रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1240] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 4, 2017/वैशाख 14, 1939
No. 1240] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 4, 2017/VAISAKHA 14, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2017

का.आ. 1403(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27.11.1990 की अधिसूचना का.आ. 916(अ) के तहत दिनांक 27.11.1990 से 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त, असम राज्य की सीमा से सटे मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: यह घोषणा, कि असम राज्य और असम राज्य की सीमा से सटे मेघालय राज्य में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाएगा, असम राज्य एवं उपर्युक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर आगे बढ़ाई गई।

और यत: असम और असम की सीमा से सटे मेघालय राज्य में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा करने से यह पता चलता है कि:—

i) उल्फा (आई), एनडीएफबी (एस), के एल ओ, के पी एल टी सहित इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिगत गुटों के युद्धप्रिय स्वभाव के कारण असम में सुरक्षा की स्थिति खराब बनी हुई है;

ii) असम में वर्ष 2016 के दौरान हिंसा की 75 घटनाओं में फिरौती के लिए 14 व्यक्तियों के अपहरण के अतिरिक्त 4 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित 33 व्यक्तियों की हत्या की गई और वर्ष 2017 में (28.02.2017 तक) असम में हिंसा की 9 घटनाओं में 2 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित 4 व्यक्तियों की हत्या की गई;

iii) असम में वर्ष 2016 के दौरान उल्फा हिंसा की 22 घटनाओं में शामिल था जिनमें 4 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित 13 व्यक्तियों की मौत हो गई तथा 10 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित 56 व्यक्तियों को चोटें आईं जबकि चालू वर्ष में 28.02.2017 तक इस संगठन ने हिंसा की 9 घटनाओं को अंजाम दिया है जिनमें 2 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित 4 व्यक्तियों की मौत हो गई;

iv) उल्फा (आई) के अनेक सशस्त्र मॉड्यूल्स या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा एनएससीएन (के) और कॉरकॉम के साथ मिलकर असम में अनेक स्थानों पर, विशेष रूप से लांगडिंग, तीरप और चांगलांग जिलों में असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा के अतिरिक्त उदलगिरि-दारंग, सोनितपुर-लखीमपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय हैं;

v) स्वयं-भू सी एस द्रष्टि राजखोवा की कमान में उल्फा (आई) की एक टुकड़ी गोलपाड़ा और धुबरी जिलों में असम-मेघालय सीमा पर सक्रिय है;

vi) एनडीएफबी ने कोकराझार, चिरांग, उदलगिरि और सोनितपुर जिलों के क्षेत्रों में जबरन धन वसूली की अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। वर्ष 2016 के दौरान, यह संगठन हिंसा की 19 घटनाओं में शामिल था जिनमें 16 व्यक्तियों की मौत हुई;

vii) अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय के साथ लगी असम की अन्तर-राज्य सीमाओं का अभी भी सभी प्रकार के भूमिगत काडरों द्वारा छिपने के अड्डों तथा आने-जाने के कॉरीडोर के रूप में प्रयोग किया जा रहा है; और

viii) चूंकि असम-मेघालय सीमा पहाड़ी है तथा यहां घने जंगल हैं, इसलिए यहां द्रष्टि राजखोवा की कमान में उल्फा (आई) की टुकिड़यों सहित भूमिगत गुटों की गतिविधियां चलती रहती हैं, गारो हिल्स में गारो नेशनल लिब्रेशन आर्मी सक्रिय है तथा खासी हिल्स, मेघालय में हन्नीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन काउन्सिल सक्रिय है।

अत:, अब, सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से सटे मेघालय राज्य की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत 03.05.2017 के बाद तीन महीने तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में बने रहेंगे जब तक कि इसे इससे पहले वापिस न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एन ई- IV]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2017

S.O. 1403(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27.11.1990 vide Notification S.O. 916(E), dated 27.11.1990.

And whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared, besides other areas, the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Meghalaya bordering with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the declaration that the State of Assam and areas falling within 20 kms wide belt in the State of Meghalaya bordering with the State of Assam shall be a 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and the aforesaid area.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and the 20 kms wide belt in the State of Meghalaya bordering Assam indicate the following:—

(i) The security situation in Assam continues to remain vitiated due to the belligerent attitude of the UG groups active in the region including ULFA (I), NDFB (S), KLO, KPLT;

(ii) During the year of 2016 in Assam 33 persons including 4 security force personnel were killed besides abduction of 14 persons for ransom in 75 incidents of violence and 4 persons including 2 security force personnel have been killed in the year 2017 in 9 incidents of violence in Assam (up to 28.2.2017);

(iii) In Assam ULFA(I) involved in 22 incidents of violence resulting in death of 13 persons including 4 security force personnel and injuries to 56 persons including 10 security force personnel during the year 2016 while in the current year up to 28.2.2017 the outfit has perpetrated 9 incidents of violence in which 4 persons including 2 security force personnel have been killed;

(iv) Several armed modules of ULFA(I), either individually or jointly with NSCN(K) and CorCom, are active in several locations in Assam, particularly bordering areas of Udalguri-Darrang, Sonitpur-Lakimpur besides Assam-Arunachal Pradesh boundary in Longding, Tirap and Changlang districts;

(v) A detachment of ULFA(I) under the command of Dristi Rajkhowa, self-styled CS, is operating along the Assam-Meghalaya boundary across Goalpara and Dhubri districts;

(vi) NDFB(S) has intensified its extortion activities in areas of Kokrajhar, Chirang, Udalguri and Sonitpur districts. During the year 2016 the outfit was involved in 19 incidents of violence resulting in death of 16 persons;

(vii) The inter-State boundaries of Assam with Arunachal Pradesh, Nagaland and Meghalaya continue to be used as hideouts and corridors for movement by UG cadres of all hues; and

(viii) Assam-Meghalaya boundary, being hilly and densely forested, remains infested by UG activities including the detachments of ULFA(I) under the command of Dristi Rajkhowa, Garo National Liberation Army active in the Garo Hills, and Hynniewtrep National Liberation Council active in Khasi Hills, Meghalaya.

Now, therefore, the entire State of Assam and the 20 kms belt in the State of Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 up to three months beyond 03.05.2017, unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE-IV]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.05 15:19:21 +05'30'